फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर
जिला हनुमानगढ

रोहिताष बनाम देवीलाल

किस्म मुकदमा ,53 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
11.09.2020	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26.10.2020 को पेश हो।	
26/10/20	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 3,4 की ओर से श्री मदनलाल शर्मा एड० उपस्थित वकालतनामा पेश कर वादी के वाद स्वीकार कर इकबाल जवाब पेश किया प्रतिवादी सं० 1,2,6,7 की तामीली हेतु दिनांक 21/12/2020 को पेश हो~~	
21/12/20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। शेष प्रतिवादीगण तलबी हेतु पत्रावली दि0 ....को पेश हो। 4.2.21	
4/2/21	बकुलाय फारिकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1,2,7 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। जवाब दावा की नकल वादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 6 की तलबी दि. 4.2.21 को पेश हो।	
1/4/21	~~बकुलाय फारिकेन उपस्थित प्रतिवादी संख्या 6 की तलबी नहीं करवाई गई व प्रतिवादी 6 की तामीली हेतु रजिस्टर्ड सम्मन पेश कर पत्रावली दि 7/6/21 को पेश हो~~	
7.6.21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली दि0 ....को पेश हो। 13.8.21	
13/8/21	~~बकुलाय फारिकेन उपस्थित वकील वादी के निवेदन किया की पक्षकारों का आपस में सहमति हो चुकी है इसलिये वाद नहीं चलाना चाहता खारिज फरमावें। वादी पक्ष के दावा अपना वाद नहीं चलाने के बाबत खारिज किया गया व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो~~ उपखण्ड अधिकारी नोहर	नहीं चलाना चाहता

Scanned by CamScanner